क्रमांक 161 / बो.प्र. / नि.स. / 2021 / ....
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

दिनांक   / 09 / 2021

प्रति,

जनसूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्रदाय करने बाबत्।
संदर्भ :– 1. अपीलार्थी श्री पप्पू फरिश्ता प्रबंध संपादक, का आवेदन दिनांक 14.09.2021
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2021

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि अपीलार्थी श्री पप्पू फरिश्ता, के आवेदन दिनांक 14.09.2021. पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2021 की सत्यापित प्रति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है। दिये गये निर्णय पर कार्यवाही करते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी को सूचित करें।

sd/-

सहपत्र : उपरोक्तानुसार

(अरूण कुमार बड़िये)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्र. 161 / बो.प्र. / नि.स. / 2021 / 8111   रायपुर   दिनांक 30 / 09 / 2021

प्रतिलिपि :–

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग के वेबसाईट (RTI) में अपलोड करें।
2. श्री पप्पू फरिश्ता प्रबंध संपादक, छत्तीसगढ़ का पहला मिड–डे अखबार 1, इंद्रावती कालोनी रोड, सिविल लाईन, गौरव पथ, रायपुर मो.नं. – 9425507771 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार

28/09/2021

(अरूण कुमार बड़िये)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 161 / बो.प्र. / नि.स. / 2021 / ....
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

दिनांक /09/2021

अपील प्रकरण क्रमांक 161

अपीलार्थी		प्रतिअपीलार्थी
श्री पप्पू फरिश्ता प्रबंध संपादक, छत्तीसगढ़ का पहला मिड–डे अखबार 1, इंद्रावती कालोनी रोड, सिविल लाईन, गौरव पथ, रायपुर मो.नं. – 9425507771	विरूद्ध	श्री एल.बी. शाह जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 28.09.2021

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री पप्पू फरिश्ता, के प्रथम अपील आवेदन पत्र दिनांक 14.09.2021 की सुनवाई आज दिनांक 28.09.2021 को कक्ष क्र. FA-6, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में दोपहर 12.00 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी श्री एल.बी. शाह कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग,रायपुर (छ.ग.), अपीलार्थी श्री पप्पू फरिश्ता एवं तकनीकि कक्ष से श्री आर.एन. यादव, वरिष्ठ मानचित्रकार, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर उपस्थित थे।

2 अपीलार्थी श्री पप्पू फरिश्ता ने यह अपील जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.) के निर्णय दिनांक 06.09.2021 से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

3. अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी तथा श्री आर.एन. यादव, वरिष्ठ मानचित्रकार, के तर्क श्रवण किये गये।

4. अपीलार्थी द्वारा उनके आवेदन पत्र दिनांक 26.08.2021 से सिंचाई विभाग के अंतर्गत विगत 10 वर्षों में सभी संभागों में कितने स्टापडेम निर्माण किये गये एवं वर्तमान में कितने संख्या में कार्यशील एवं प्रयोग में लाये जा रहे है, की जानकारी जनसूचना अधिकारी से चाही गई थी। वे इस तथ्य से व्यथित है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा उन्हें पत्र दिनांक 06.09.2021 से यह सूचित किया है कि वांछित जानकारी इस कार्यालय में धारित नहीं है। अपीलार्थी के अनुसार प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रदेश के सभी संभागों की उक्त जानकारियां होना चाहिए। यदि प्रमुख अभियंता कार्यालय में उक्त जानकारी नहीं थी, तब जनसूचना अधिकारी द्वारा जल संसाधन विभाग के संबंधित संभागों को पत्र लिख कर जानकारी प्राप्त कर कम्पाइल करते हुए एक माह के भीतर प्रदाय की जानी थी, जो उनके द्वारा नहीं की गई। जनसूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी को यह अवगत कराना चाहिए कि किस धारा के अंतर्गत अपीलार्थी को यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी। जनसूचना अधिकारी द्वारा उनके आवेदन पत्र को विभिन्न जनसूचना अधिकारियों को हस्तांतरित किया जा सकता था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया।

5. जनसूचना अधिकारी के तर्क अनुसार मांगी गई सूचना का कोई भी हिस्सा इस कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं है, बल्कि सूचना के हिस्से एक से अधिक दूसरे संभागीय कार्यालयों के पास उपलब्ध है। अतः उनके द्वारा आवेदक को सूचित किया है कि वांछित जानकारी इस कार्यालय में धारित नहीं है तथा जल संसाधन विभाग के पृथक–पृथक संभागों को पत्र लिख कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा (3) में दूसरे लोक प्राधिकरण का संदर्भ एक वचन में है न कि बहुवचन में। अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी दूसरे जनसूचना अधिकारियों के पास हस्तांतरित नहीं की जा सकी, क्योंकि अधिनियम के अंतर्गत वहीं सूचना अपेक्षित है जो पहले से विद्यमान हो तथा लोक प्राधिकरण द्वारा धारित हो। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। ऐसी सूचना को एकत्र किया जाना भी सूचना सृजन अंतर्गत आता है जो अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित नहीं है।

6 जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अन्य संभागों के कार्यालयीन पते उपलब्ध नहीं कराये गये।

7 श्री आर.एन. यादव, वरिष्ठ मानचित्रकार, तकनीकि कक्ष कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर का पक्ष सुना गया। उनके द्वारा बताया गया कि तकनीकि कक्ष में स्टापडेम संबंधित जानकारी नहीं है। तकनीकि कक्ष अंतर्गत बैठकों के दौरान एजेंडा प्राप्त होने पर तद्‌नुसार जानकारियां संबंधित मुख्य अभियंताओं से प्राप्त कर कम्पाइल की जाती है। वर्तमान में स्टापडेम संबंधित जानकारी नहीं है।

8 विभाग के एम.आई.एस. कक्ष में कुछ निर्मित स्टापडेम की जानकारी जिसमें निर्माण का वर्ष दर्शित है उपलब्ध थी। इस जानकारी में स्टापडेम वर्तमान में कार्यशील एवं प्रयोग में लाये जा रहे की जानकारी संबंधित जल ससांधन संभागों में ही प्राप्त की जा सकती है। जनसूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को एम.आई.एस. शाखा में नहीं भेजा गया था। अतः उक्त जानकारी जनसूचना अधिकारी को प्राप्त नहीं हो सकी। एम.आई.एस. शाखा द्वारा उक्त जानकारी जनसूचना अधिकारी को पेशी के दौरान प्रदाय की गई।

9 अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रकरण में चाही गई जानकारी तथा जनसूचना अधिकारी प्रस्तुत आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी में थोड़ी भिन्नता है, अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रक्ररण में **''कितने स्टापडेम सुनील अग्रवाल, रायगढ़ द्वारा किया गया है''** लेख किया गया है। जबकि जनसूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन पत्र में **''कितने स्टापडेम निर्माण किये गये एवं वर्तमान में कितने संख्या में कार्यशील एवं प्रयोग में लाये जा रहे है''** लेख किया गया है।

10 अपीलार्थी द्वारा जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपील प्रकरण चाही गई जानकारी में भिन्नता है जो अपीलार्थी की लेखन त्रुटि मानते हुए अपीलार्थी द्वारा जनसूचना अधिकारी से चाही गई जानकारी को मान्य कर अतः उभयपक्षों के तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर यह निर्णय दिया जाता है कि :–

अपीलार्थी द्वारा जनसूचना अधिकारी से चाही गई जानकारी एक हिस्सा यथा स्टापडेम के नाम प्रमुख अभियंता कार्यालय में धारित है। शेष जानकारी यथा कितने स्टापडेम कार्यशील एवं प्रयोग में लाये जा रहे है बाबत् जानकारी जल संसाधन विभाग के संबंधित कई संभागों के पास उपलब्ध होगी। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा (3) में दूसरे लोक प्राधिकरण का संदर्भ एक वचन में है न कि बहुवचन में। अतः जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी दूसरे जनसूचना अधिकारियों के पास हस्तांतरित नहीं किया गया। अधिनियम के अंतर्गत वहीं सूचना अपेक्षित है जो पहले से विद्यमान हो तथा लोक प्राधिकरण द्वारा धारित हो। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। ऐसी सूचना को एकत्र किया जाना भी सूचना सृजन अंतर्गत आता है जो अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित नहीं है। जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी की मांग उचित कक्ष से नहीं की गई जो खेदजनक है। सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत यदि मांगी गई सूचना का कुछ भाग उसके पास उपलब्ध है तथा शेष सूचना अन्य कई लोक प्राधिकरणों के पास है। ऐसी स्थिति में आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को अपने से संबंधित सूचना दे देनी चाहिए तथा साथ ही आवेदक को सलाह देना चाहिए कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग–अलग आवेदन करे। जनसूचना अधिकारी का यह भी दायित्व है कि वे अपीलार्थी को जल संसाधन विभाग अंतर्गत सिविल कार्यों के संभागों के पते भी उपलब्ध कराये, ताकि अपीलार्थी द्वारा पृथक–पृथक संभागों को आवेदन पत्र देकर उनसे जानकारी प्राप्त की जा सके। अतः जनसूचना अधिकारी, उन्हें प्रदाय की गई स्टापडेम की जानकारी तथा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिविल कार्यों के संभागों के पते की जानकारी अपीलार्थी को 3 दिवस के भीतर निशुल्क प्रदाय करें, ताकि अपीलार्थी द्वारा संभागों से शेष जानकारी प्राप्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

28/09/2021

(अरूण कुमार बड़िये)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
प्रमुख अभियंता कार्यालय
जल संसाधन विभाग, रायपुर

सत्यापित

(के.वी. चन्देल)

Executive Engineer (D)
O/o E-in-C Water Resource Deptt.
Raipur (C.G.)